



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2001/पौष 28, 1922

Not. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2001/PAUSA 28, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001

का.आ. 51(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात-मुक्त इकाईयों तथा निर्यात संसाधन जोनों और विशेष आर्थिक जोनों की इकाईयों द्वारा सभी अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर उपकर की दर तत्काल प्रभाव से मूल्यानुसार 0% (शून्य प्रतिशत) चिनिर्दिष्ट करती है।

[फ. सं. 11/16/86-ईपी(एग्री. IV)]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2001

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Cess Act, 1985 (3 of 1986), the Central Government hereby specifies 0% (zero per cent) *ad valorem* as the rate of cess on export of all Scheduled products by the Export Oriented Units and the Units in the Export Processing Zones and Special Economic Zones, with immediate effect.

[F. No. 11/16/86-EP(Agri. IV)]

R. GOPALAN, Jt. Secy.